रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 1979/ज्येष्ठ 22, 1901
No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 1979/JYAISTHA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL ... GOVT. OF INDIA

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जून, 1979

सा०का०नि० 370(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 689(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1977 में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक—

(क) पत्तन शुल्क किसी ऐसे जलयान पर, जो अस्वस्थ/मृत कर्मीदल को उतारने के लिये आता है, उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(ख) अन्य पत्तनों से भारमुगाओ पत्तन में प्रवेश करने वाले और अपने ही उपभोग के लिये समान, पानी, बंकर कोयला या तरल ईंधन को लेने वाले जलयानों पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दरों से आधी दरों पर पत्तन शुल्क प्रभारित किया जायगा।

(ग) अन्य पत्तनों से भारमुगाओ पत्तन में प्रवेश करने वाले ऐसे जलयानों पर जो जलयान से कोई स्वौरा या यात्री उतारने या उस पर चढ़ाते नहीं हैं (ऐसी पुनः लदाई या उतराई को छोड़कर को मरम्मत के प्रयोजन के लिये आवश्यक है) उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दरों से आधी दरों पर पत्तन-शुल्क प्रभारित किया जायगा,

(घ) खली, चीनी, सीमेंन्ट, खाद्य अनाज, खाद्य अनाज, मशीनरी, और अन्य साधारण स्वौरा (अयस्क और पी ओ एल उत्पाद से भिन्न) की लदाई उतराई करने वाले सभी जलयानों पर मार्गदर्शन फीस, उपरोक्त दर के 50 प्रतिशत के हिसाब से प्रभारित की जायगी परन्तु यह तब जब कि सम्हाला गया स्वौरा 5000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं है, 'संभाला गया स्वौरा' से पत्तन पर आने के पश्चात् एक समय में जलयान द्वारा संचालित कुल आयात और निर्यात अभिप्रेत है।"

[फा०सं०पी०जी०आर०-82/78]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th June, 1979

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33, read with section 34, of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 689(E), dated the 9th November, 1977 with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

After the Schedule to the said notification, the following note shall be inserted, namely :—

"Note—For a period of one year from the date of enforcement of this notification —

(a) Port dues shall not be levied on any vessel calling for disembarking sick/deceased crew.

(b) Vessels entering the Port of Mormugao from other ports and taking in only provisions, water, bunker coal or liquid fuel for their own consumption, shall be charged port dues at one half of the rates specified in column 2, of the said schedule.

(c) Vessels that enter the port of Mormugao from other ports but do not discharge or take in any cargo or passengers therein (with the exception of such unshipment and reshipment as may be necessary for purpose of repair) shall be charged port dues at one half of the rates specified in column 2, of the said Schedule.

(d) All vessels loading/unloading oil cakes, sugar, cement, foodgrains, fertilisers, machinery and other general cargo (other than the ores and the POL products) shall be charged port dues at one half of the rates, specified in column 2, of the said schedule : provided the cargo handled does not exceed 5,000 metric tonnes. "Cargo handled" means both the import as well as export, taken together handled by a vessel at a time after calling at the Port."

[F. No. PGR-82/78]

सा०का०नि० 371(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मारमुगाओं पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम मारमुगाओं पत्तन मार्गदर्शन (फीस) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और एक वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा।

2. मारमुगाओं पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1967 की अनुसूची में भाग क में, प्रविष्टि (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : खली, चीनी, सीमेन्ट, खाद्य अनाज, खाद अनाज, मशीनरी और अन्य साधारण स्थौरा (अयस्क और पी ओ एल उत्पाद से भिन्न) की लदाई उतराई करने वाले सभी जलयानों पर मार्गदर्शन फीस, उपरोक्त दर के 50 प्रतिशत के हिसाब से प्रभारित की जायेगी परन्तु यह तब जब कि मंगाया गया स्थौरा 5000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं है, 'मंगाया गया स्थौरा' से पत्तन पर आने के पश्चात् एक समय में जलयान द्वारा संचालित कुल आयात और निर्यात अभिप्रेत है।"

[फा०सं० पीजीआर-83/78]
सुदर्शन वसुदेव, उप सचिव

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Port of Mormugao Pilotage (Fees) Order, 1967, namely :—

1. (1) This order may be called the Port of Mormugao Pilotage (Fees) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force at once and be in force for one year.

2. In the Port of Mormugao Pilotage (Fees) Order, 1967, in the Schedule, in part A, after entry (1), the following note shall be inserted, namely :—

"Note : All vessels loading/unloading oil cakes, sugar, cement, foodgrains, fertilisers, machinery and other general cargo (other than the ores and the POL products) shall be charged pilotage fees at 50 per cent of the above rate, provided the cargo handled does not exceed 5000 metric tonnes. 'Cargo handled' meants both the import as well as export, taken together, handled by a vessel at a time after calling at the port."

[F. No. PGR-83/78]
S. VASUDEV Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979